

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI/178
आर बी ई सं. 7 /2010

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एएल-6

नई दिल्ली, दिनांक 11.01.2010

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, इत्यादि
(डाक सूची I और II के अनुसार)

विषय: अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/ रोगी देखभाल भत्ता प्रदान करना।

कृपया बोर्ड के दिनांक 02.09.2009 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसमें पात्र रेलवे कर्मचारियों को 30.09.2009 तक अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/रोगी देखभाल भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. बोर्ड ने अब यह विनिश्चय किया है कि जोखिम बीमा योजना कार्यान्वित होने तक पात्र रेलवे कर्मचारियों को बोर्ड के दिनांक 09.01.2008 के पत्र संख्या सं. ई (पी एंड ए)II-98/एच. डब्ल्यू-6 में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता/ रोगी देखभाल भत्ता देना जारी रखा जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक स्था.(पी एंड ए)III
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एएल-6

नई दिल्ली, दिनांक 11.01.2010

प्रतिलिपि: भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001
(40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

नई दिल्ली, दिनांक 11.01.2010

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एएल-6

प्रतिलिपि प्रेषित:

- (i) विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि।
- (ii) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/ई(पी एंड ए)III,
रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VI/178
RBE No. 7 /2010

No.E(P&A)II/2008/AL-6

New Delhi, Dated 11.01.2010.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per mailing lists No.1 & 2).

**Sub:- Grant of Hospital Patient Care Allowance (HPCA) and Patient
Care Allowance (PCA).**

Please refer to Railway Board's letter of even number dated 02.09.09, wherein sanction for payment of HPCA/PCA to the eligible Railway servants till 30.9.09 was conveyed.

2. It has now been decided by the Board that HPCA/PCA may be paid continuously to the eligible Railway servants as per terms and conditions laid down in Board's letter No. E(P&A)-II 98/H.W-6 dated 09.01.2008 till the time Risk Insurance Scheme is implemented.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

Md. Salim Ahmed
(Salim Md. Ahmed)
Dy. Director/E(P&A)-III,
Railway Board.

New Delhi, Dated 11.01.2010.

No.E(P&A)II/2008/AL-6

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India(Railways), Room No.224, New Delhi-110001.

Sp
for Financial Commissioner/Railways.

New Delhi, Dated 11.01.2010.

No.E(P&A)II/2008/AL-6

copy to:-

- (i) The FA & CAOs, All Indian Railways & Prod. Units etc.
- (ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.

Md. Salim Ahmed
(Salim Md. Ahmed)
Dy. Director/E(P&A)-III,
Railway Board.

Contd.....2/-